सत्यमेव जयते

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

GOVERNMENT OF INDIA

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

सं0 एलओ/8/2012/एसटीजीजेएच/डीईएलएएएल/आर.यू.–3

छठी मंज़िल, 'बी' विंग, लोक नायक भवन
खान मार्किट, नई दिल्ली–110003
6th Floor, 'B' Wing, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003

Dated 22/3/2013

सेवा में,

श्रीमती अराधना पटनायक,
उपायुक्त,
जिला–लातेहार,
झारखण्ड

विषयः विस्थापन के बदले रोजगार उपलब्ध कराने के संबंध में श्री लालू उरांव, ग्राम–डुमारो के टोला रैलिया, थाना–चन्दवा, जिला–लातेहार की परिवाद।

महोदय,

उपरोक्त विषयक श्री लालू उराँव की शिकायत के संबंध में दिनांक 31/01/2013 को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय, रांची में श्री मनोज कुमार, अपर जिलाधीश, लातेहार के साथ आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की छायाप्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु आपको संलग्न कर भेजी जा रही है।

अनुरोध है कि कार्यवृत्त में वर्णित/उल्लेखित बिन्दुओं पर अनुपालनात्मक रिपोर्ट आयोग को 15 दिनों की अवधि में अवश्य भिजवाने की व्यवस्था करें।

भवदीय,

(के.डी. बन्सौर)
उप निदेशक

प्रतिलिपि कार्यवृत्त की प्रति सहित :

1. श्री मनोज कुमार, अपर जिलाधीश, लातेहार (झारखण्ड) को आवश्यक कार्रवाई हेतु।
2. अनुसंधान अधिकारी, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग क्षेत्रीय कार्यालय, रांची को अनुवर्ती कार्रवाई हेतु।
3. श्री लालू उरांव, ग्राम–डुमारो के टोला रैलिया, थाना–चन्दवा, जिला–लातेहार (झारखण्ड) को सूचनार्थ।

(के.डी. बन्सौर)
उप निदेशक

Tel. : 011-24657271, 011-24615012, 011-24624714, Fax : 011-24604689, 011-24624191

मिसिल सं0 एलओ/8/2012/एसटीजीजेएच/ डीईएलएएएल/आर.यू.–III

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

श्री लालू उराँव की एक शिकायत के संबंध में दिनांक 31–01–2013 को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय, रांची में श्री मनोज कुमार, अपर जिलाधीश, लातेहार के साथ आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।

जमीन के बदले रोजगार देने के संबंध में श्री लालू उराँव, गांव–डुमरू टोला रोलिया, थाना–चंदवा, जिला–लातेहार (झारखण्ड) की शिकायत/प्रस्तुतीकरण पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय, रांची में बैठक आयोजित की गयी थी। श्रीमती आराधना पटनायक, उपायुक्त, लातेहार को आधुनिक कम्पनी द्वारा आदिवासी के प्रभावी पुनर्वास के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए 31–01–2013 को आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय, रांची में बुलाया गया था लेकिन जिले में कानून और व्यवस्था में उनकी व्यस्तता के कारण उन्होंने अपने बदले श्री मनोज कुमार, अपर जिलाधीश, लातेहार को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय के साथ बैठक में शामिल होने के लिए प्रतिनियुक्त किया। तदनुसार, श्री मनोज कुमार, अपर जिलाधीश, लातेहार बैठक में उपस्थित हुए। श्री एस0 आर0 तिरिया, अनुसंधान अधिकारी, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, रांची भी बैठक के दौरान उपस्थित थे।

प्रारंभ में माननीय अध्यक्ष महोदय जी ने चर्चा शुरू की और श्री लालु उरांव जी को उनकी शिकायतों और समस्याओं को बताने के लिए कहा। श्री उरांव ने माननीय अध्यक्ष महोदय के समक्ष कहा कि मेसर्स आधुनिक कम्पनी ने काटा सं0 33, प्लाट सं0 1019 क्षेत्र 0.38 डेसीमल और काटा सं0 62, प्लाट सं0 1020/क्षेत्र 1.98 कुल क्षेत्र 2 एकड़ 3.6 डेसीमल जमीन ली थी। वहां पर ग्राम सभा की कोई बैठक नहीं हुई। उन्हें आधुनिक कम्पनी द्वारा तैयार किए गए करार पर हस्ताक्षर करवाये गये। यह करार था कि कम्पनी जमीन के बदले रोजगार और मुवाअजा प्रदान करेगी। कम्पनी प्रति डेसीमल रू0 5000 देगी। कम्पनी ने वादा किया था कि उनकी 2.36 एकड़ जमीन के बदले में कम्पनी तीन लोगों को रोजगार भी देगी, लेकिन कम्पनी द्वारा उन्हें कोई रोजगार नहीं दिया गया। उन्हें ठेकेदार द्वारा काम पर रखा गया है और वर्तमान में वे कम्पनी में चौकीदार के रूप में 4000 रूपये के मासिक वेतन पर कार्यरत है और कोई साप्ताहिक छुट्टी नहीं है, उन्हें महीने में 30 दिन कार्य करना होता है। सुनवाई के दौरान उन्होंने बताया कि उन्हें कम्पनी को अपनी जमीन देने में रूचि नहीं थी इसलिए वे बेलूर में छिपे थे लेकिन जब उन्होंने सुना कि उनकी जमीन पर कम्पनी द्वारा पहले ही कब्जा कर लिया गया है, वे अपने गांव वापस लौटे और तब कम्पनी के लोग उनको उपायुक्त के पास ले गए और उनकी इच्छानुसार कहने के लिए दबाव डाला। अब वे महसूस करते है कि उन्हें धोखा दिया गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने बताया कि सीएनटी एक्ट के तहत उपायुक्त, जनजातीय जमीन का अभिरक्षक होता है। विक्रय की स्वीकृति देने से पहले उसे सभी पहलुओं को देखना चाहिए। आधुनिक ग्रुप ऑफ कम्पनी द्वारा अधिग्रहीत सभी जनजातीय जमीनों की छानबीन की आवश्यकता है और आधुनिक ग्रुप ऑफ कम्पनी से लिखित आश्वासन लेना होगा और जनजातीय लोगों को उनकी जमीन के लिए पर्याप्त मुवाअजा दिया जाना चाहिए। उपायुक्त, लातेहार द्वारा आयोग को दी गयी सूचनाएं बहुत ही संक्षिप्त और अधूरी हैं। श्री मनोज कुमार, अपर जिलाधीश, लातेहार को दिनांक 11–10–2012 के पत्र सं0 एलओ/8/2012/एसटीजीजेएच/डीईएलएएएल/आर.यू.–III की एक प्रति दी गयी और

Rameshwar Oraon

डा॰ रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

प्रश्नावली के अनुसार बिन्दुवार विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। साथ ही उन्हें, सरकार के साथ कम्पनी के समझौता ज्ञापन की एक प्रति प्रस्तुत करने के लिए भी कहा गया।

यह जांच का विषय है कि आवेदक अपनी जमीन देना नहीं चाहते थे। इसलिए वह बेलूर चले गये थे, उनकी अनुपस्थिति में कम्पनी द्वारा उनकी जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया गया था। ऐसी स्थिति में विवशतावश उन्हें जमीन देना पड़ा । इस बात की जाँच आवश्यक है, क्योंकि तब वैसी परिस्थिति में मामला अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत आ जाता है । उपायुक्त , जॉच कर एक सुस्पष्ट प्रतिवेदन देंगे ।

मामले की सुनवाई जारी रहेगी ।

Rameshwar Oraon.

डा॰ रामेश्वर उरांव/Dr. RAMESHWAR ORAON
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi